

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



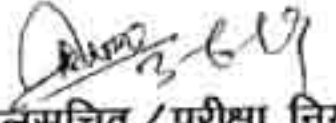
पत्रांक : परीक्षा नियंत्रक/ 349
दिनांक : 03.06.2019

अधिसूचना

कृपया दिनांक 29.04.2019 को आहूत कार्य समिति की बैठक के मद संख्या 3 के संकल्प में परीक्षा समिति द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

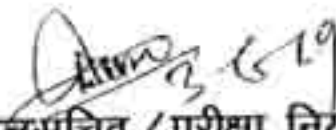
“परीक्षा समिति द्वारा डॉ० राजीव कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ के पत्रांक: क्षे०का०मे०/3204-6/2018-19 दिनांक 16 फरवरी, 2019 द्वारा प्रेषित ई-मेल/पंजीकृत पत्र को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से अधिसूचना जारी करते हुए लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी”

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा तथा कार्य समिति द्वारा अनुमोदित उक्त मद संख्या के क्रम में जो निर्णय लिए गए हैं इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की जाती है जिसका विस्तृत वर्ण इस पत्र के साथ संलग्न है।(संलग्न : 01)


कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक
3/6

प्रतिलिपि :-

1. वयैक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिलिपि वयैक्तिक प्रति कुलपति को मा० प्रतिकुलपति के सूचनाथ।
3. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी ऑफिस।


कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक
3/6



कार्यालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, माधवपुरम, मेरठ।

दूरभाष/फैक्स 0121-2400444 ई-मेल rheomeerut@yahoo.com वेबसाइट www.rheomrt.org

पत्रांक/क्षेत्रीय/3204-6

/2018-19/

16 फरवरी/2019

ई-मेल/पंजीकृत

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय:-विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा-2019 के आयोजन के सम्बन्ध में।

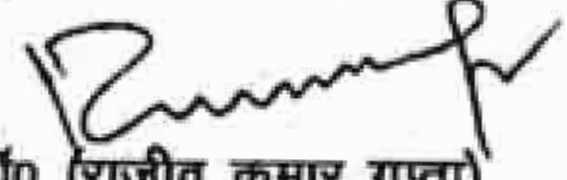
महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। तद्वेतु नकल विहीन परीक्षा हेतु प्रदेश सरकार संकल्पित है। गत वर्ष मेरे द्वारा किये गये निरीक्षण से प्राप्त अनुभव के आधार पर कतिपय सुझाव (बिन्दुवार) निम्नलिखित हैं।

1. गत वर्ष परीक्षाओं के दौरान किये गये निरीक्षण से संज्ञान में आया है कि अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा के दौरान महाविद्यालय में शार्ट नोट्स (चित्रा, एक अध्ययन तथा अन्य आदि गाईड बुक्स) लेकर आते हैं तथा परीक्षा से पूर्व वह उनके महाविद्यालय परिसर में रखने का प्रयास किसी स्थान (जैसे नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले अथवा शौचालय आदि) पर करते हैं तथा परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा कक्ष से बाहर आकर प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। अतः प्रत्येक दशा में महाविद्यालयों द्वारा गेट पर सघन चेकिंग के द्वारा उनको महाविद्यालय परिसर में लाने के प्रयास को रोका जाये। इसके लिए परीक्षा हेतु नामित उड़न दस्ता दल को निर्देश जारी किये जाये कि वे समय-समय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सहयोग से आवश्यक हो ले कि इन स्थानों पर किसी प्रकार की नकल सामग्री न रखी पाये जाये।
2. परीक्षा के दौरान जारी प्रवेश पत्र को छात्र-छात्राओं द्वारा लैमिनेट कराने के निर्देश से प्रवेश पत्र के नष्ट होने अथवा फटने की सम्भावना समाप्त तो होगी ही साथ ही उसको उड़न दस्ता दल द्वारा चेक करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकांश छात्र-छात्रा उत्तर पुस्तिकाओं पर तथा ओ0एम0आर0 शीट्स पर अपना विवरण सही नहीं भर पाते हैं। अतः एक सैम्पल नोटिस बोर्ड पर जरूर चस्पा किया जाये, अथवा कक्षाओं में छात्र-छात्राओं को दिखाकर उनको अवगत कराये जाये ताकि उत्तर पुस्तिकाओं में उनके द्वारा सही-सही विवरण ही दर्ज किया जा सके।
4. परीक्षा कक्ष में जहाँ छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित है, वही कक्ष निरीक्षकों द्वारा भी परीक्षा अवधि के दौरान मोबाइल का प्रयोग न करने के निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।
5. वर्तमान समय में प्रयोगात्मक परीक्षाएं मात्र एक औपचारिकता बन कर रह गयी हैं। अतः यह आवश्यक एवं उचित होगा कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं ऑडियो-विडियो युक्त कैमरो की निगरानी में आयोजित की जायें तथा उनकी रिकार्डिंग परीक्षकों द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उसी दिन विश्वविद्यालय को ई-मेल के माध्यम से अवश्य ही उपलब्ध करायी जाये। ताकि परीक्षा की शुचिता पर कोई सन्देह न कर सके।

6. विश्वविद्यालय परीक्षा में सभी शिक्षकों द्वारा पूर्ण मनोयोग से योगदान किया जाये। इस हेतु उनको दिया जाने वाला पारिश्रमिक समय से उनके खाते में हस्तान्तरित किये जाने का प्रयास किया जाना आवश्यक होगा।
7. उच्च शिक्षा गुणवत्ता मूल्यांकन परिषद द्वारा शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य की जानकारी मांगी जाती है। परन्तु विडम्बना है कि अधिकांश शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं किया जाता है तथा कुछ ही शिक्षक अधिक से अधिक मूल्यांकन कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराने का प्रयास करते हैं। अतः आवश्यक होगा कि मूल्यांकन केन्द्र इस प्रकार बनाये जाये कि सभी शिक्षक मूल्यांकन कार्य में अपना पूर्ण योगदान कर सकें। किसी भी दशा में मूल्यांकन कार्य में न्यायोचित संख्या से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा न किया जाये ताकि मूल्यांकन कार्य न्यायपूर्ण हो सके।
8. परीक्षा के दौरान कतिपय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, उनके द्वारा अवगत कराया है कि इसके कारण वे अपने स्वयं के महाविद्यालय की परीक्षा हेतु पर्याप्त समय प्रदान नहीं कर पाते हैं। अतः आवश्यक होगा कि राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त प्राचार्य/उपाचार्य को भी इस कार्य हेतु शामिल किया जाये, जिनके द्वारा प्रत्येक दिवस में प्रति- कुलपति को अपनी गोपनीय आख्या से अवगत कराया जाये।
9. अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा कार्यक्रम तिथियों एवं उनमें परिवर्तन की जानकारी अभाव में परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। अतः परीक्षा कार्यक्रम महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये तथा एक व्हाट्सएप नम्बर भी उपलब्ध कराया जाये ताकि विद्यार्थी समय पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

भवदीय,


डॉ० (राजीव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
मेरठ
पदेन प्रतिनिधि-कार्यकारी परिषद एवं वित्त समिति
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।

मेरठ पृ०सं०/क्षे.का.में./3204-6 /2018-19/तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा, शिक्षा डिग्री उ०प्र० प्रयागराज।


डॉ० (राजीव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पदेन प्रतिनिधि-कार्यकारी परिषद एवं वित्त समिति
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।